भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 345

उत्तर देने की तारीख: 27.11.2024

मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

345. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए बजट आवंटन, निधियों के उपयोग का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त छात्रवृत्तियां सच्चर समिति की रिपोर्ट में यह पाए जाने के बाद शुरू की गई थीं कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे देश में शैक्षिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े समुदायों में से हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शैक्षिक स्थिति, उपलब्धि और इसकी आवश्यकताओं का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2023-24 से कक्षा एक से आठ तक के अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति बंद कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शैक्षिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत बजट आवंटन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	**मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**
वर्ष	**बजट आवंटन**	**बजट आवंटन**
2019-20	1199.82	482.66
2020-21	1330.00	535.00
2021-22	1378.00	468.00

2022-23	556.82	515.00
2023-24	400.00	1000.00
2024-25	326.16	1145.38

*धनराशि का राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।

2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान स्वीकृत मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। छात्रवृत्ति योजनाओं को 2021-22 के बाद अनुमोदित नहीं किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए भुगतान किया गया है।

(ख): नवंबर, 2006 में प्रस्तुत सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा के विकास के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए विशेष रूप से मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया।

(ग): सरकार द्वारा समय-समय पर शैक्षिक स्थिति का आकलन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय इस संबंध में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE) और उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

(घ): शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII तक) प्रदान करना अनिवार्य है। तदनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केवल कक्षा IX और X में पढ़ने वाले छात्र ही शामिल किए जाते हैं। इसी तरह 2022-23 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवरेज केवल कक्षा IX और X तक ही सीमित कर दिया गया है।

(ङ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी शामिल है।

******

'मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' के संबंध में श्री खलीलुर रहमान द्वारा दिनांक 27.11.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 345 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2019-20 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपए में)

		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत राशि**	**स्वीकृत राशि**	**स्वीकृत राशि**	**स्वीकृत राशि**
1	अंडमान और निकोबार	0.04	0.37	0.4	0.0127
2	आंध्र प्रदेश	47.60	36.4	37.85	3.3069
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.0000
4	असम	161.16	90.97	99.98	2.3499
5	बिहार	82.43	32.97	49.19	0.6094
6	चंडीगढ़	0.15	0.2	0.18	0.0052
7	छत्तीसगढ़	1.64	1.35	1.34	0.1825
8	दिल्ली	0.65	0.88	1.25	0.0563
9	गोवा	0.06	0.08	0.11	0.0083
10	गुजरात	37.48	28.6	25.7	1.2365
11	हरियाणा	3.25	3.58	8.53	0.4907
12	हिमाचल प्रदेश	0.40	0.34	0.3	0.0398
13	जम्मू और कश्मीर	129.16	96.24	77.67	3.1067
14	झारखंड	60.90	5.17	5.7	0.3617
15	कर्नाटक	100.42	99.74	110.67	15.3849
16	केरल	74.80	74.4	78.32	8.2699
17	लद्दाख		3.93	3.08	0.1237
18	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0.0000
19	मध्य प्रदेश	41.54	37.93	47.53	4.1891
20	महाराष्ट्र	86.66	81.65	88.89	4.5188
21	मणिपुर	25.76	26.29	28.17	3.3999
22	मेघालय	2.51	3.97	4.42	0.3144
23	मिजोरम	15.09	15.07	18.54	0.7748
24	नागालैंड	18.90	24.01	28.03	2.5970
25	ओडिशा	2.53	2.92	4.19	0.1381
26	पुदुचेरी	0.87	1	1.04	0.1281
27	पंजाब	76.14	70.44	75.57	3.6812

28	राजस्थान	53.66	46.59	55.58	6.4354
29	सिक्किम	0.15	0.03	0.1	0.0091
30	तमिलनाडु	78.23	76.96	86.55	13.6521
31	तेलंगाना	60.28	56.6	61.29	4.6415
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.07	0.03	0.04	0.0018
33	त्रिपुरा	0.52	0.87	1.02	0.0807
34	उत्तर प्रदेश	247.14	265.24	317.32	19.9029
35	उत्तराखंड	14.00	7.4	10.48	0.3063
36	पश्चिम बंगाल	0.36	0.2	0.14	0.0032
कुल		**1424.56**	**1192.42**	**1329.17**	**100.32**
नोट- डेटा 2022-23 के लिए अनंतिम है। स्रोत- एनएसपी डेटाबेस।					

2019-20 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपए में)

		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत राशि**	**स्वीकृत राशि**	**स्वीकृत राशि**	**स्वीकृत राशि**
1	अंडमान और निकोबार	0.01	0.1	0.1	0.011
2	आंध्र प्रदेश	12.95	9.69	11.32	2.399
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	
4	असम	32.94	24.78	51.34	0.146
5	बिहार	30.53	18.12	9.55	0.809
6	चंडीगढ़	0.06	0.05	0.05	0.003
7	छत्तीसगढ़	1.38	1.27	1.54	0.450
8	दिल्ली	0.89	1.08	0.86	0.119
9	गोवा	0.15	0.21	0.27	0.049
10	गुजरात	13.43	11.6	12.82	2.502
11	हरियाणा	3.22	3.31	4.58	0.742
12	हिमाचल प्रदेश	0.26	0.24	0.29	0.083
13	जम्मू और कश्मीर	72.51	30.38	27.47	3.283
14	झारखंड	8.72	2.99	3.41	0.492
15	कर्नाटक	49.90	34.24	43.98	10.875

16	केरल	32.68	31.8	37.55	8.669
17	लद्दाख	0.00	0.91	0.5	0.032
18	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0.000
19	मध्य प्रदेश	14.47	13.6	16.13	3.593
20	महाराष्ट्र	24.23	23.02	20.97	3.830
21	मणिपुर	4.86	3.82	3.93	0.574
22	मेघालय	5.06	4.88	3.63	0.417
23	मिजोरम	1.17	0.85	1.34	0.150
24	नागालैंड	4.58	4.88	5.45	1.119
25	ओडिशा	1.98	1.91	2.4	0.440
26	पुदुचेरी	0.36	0.33	0.33	0.066
27	पंजाब	30.18	27.66	29.96	3.587
28	राजस्थान	20.73	19.39	21.26	5.174
29	सिक्किम	0.03	0.04	0.15	0.018
30	तमिलनाडु	25.93	24.79	29.18	8.228
31	तेलंगाना	13.90	14.63	16.8	1.483
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.03	0.02	0.03	0.005
33	त्रिपुरा	0.73	0.63	1.21	0.137
34	उत्तर प्रदेश	68.20	81.22	100.24	18.315
35	उत्तराखंड	3.43	3.37	3.85	0.522
36	पश्चिम बंगाल	3.15	5.49	7.09	0.971
कुल		**482.65**	**401.3**	**469.58**	**79.292**

नोट- डेटा 2022-23 के लिए अनंतिम है। स्रोत- एनएसपी डेटाबेस।